'देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं और अंतिम सांस तक देश की सेवा करना चाहती थीं। —— अरविंद केजरीवाल, सीएम, दिल्ली

कंपनी क्षेत्र में जो कुछ भी चूक अथवा गड़बड़ियां होती हैं और जिसकी वजह से कारोबार में असफलता हाथ लगती है उसके लिए सरकार को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। —— हरदीप सिंह पुरी, नागर विमानन मंत्री

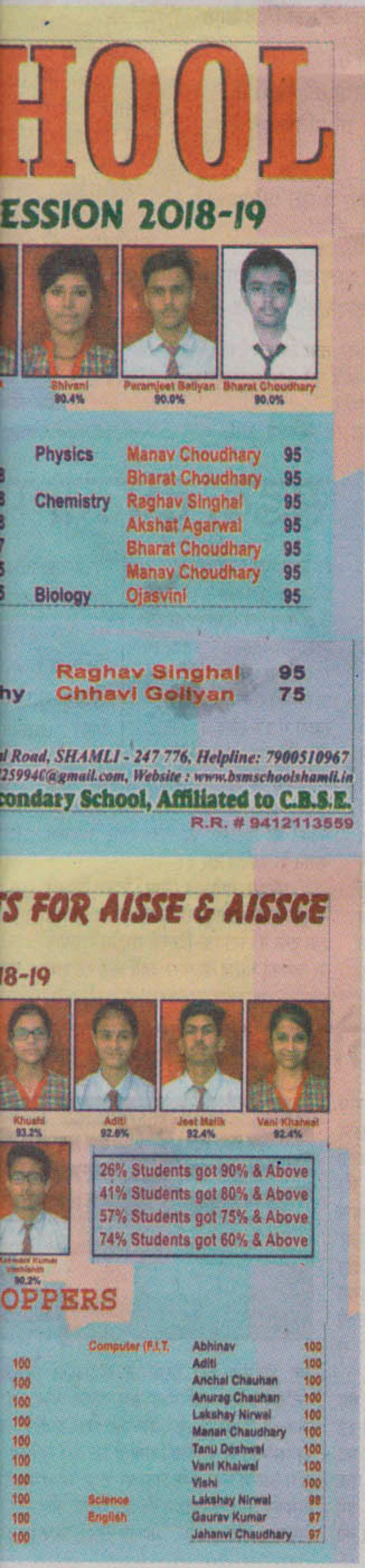

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति बारे में जानकारी हासिल कर लें।

'सनातन स्मृतियों से जोड़ने का सामर्थ्य केवल ललित निबंध में है' : ललित निबंध के लिए शब्दों और भावों का उचित संयोजन जरूरी है। इसके लिए खास तरह की एकाग्रता और निपुणता की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह हिंदी साहित्य की सबसे कठिन विधाओं में से एक है। यह बात साहित्य अकादमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने 'ललित निबंधः स्वरूप एवं परंपरा' विषयक संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर कही। प्रख्यात समालोचक चित्तरंजन मिश्र ने कहा कि ललित निबंध आत्मा की अभिव्यक्ति है।

राजधानी में पर्याप्त प्याज है उपलब्ध : खाद्य मंत्री

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को प्याज की कीमत को लेकर बैठक की व उन्हें प्याज जमाखोरों पर तुरंत सख्ती करने का आदेश दिया। उन्होंने जमाखोरों पर सख्ती करने के साथ प्याज की उपलब्धता पर प्रतिदिन रिपोर्ट देने कहा।

इस बैठक में खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि अब महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश से प्याज पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। महाराष्ट्र में बाढ के कारण आपूर्ति में जो बाधा थी वह अब दूर हो चुकी है। बैठक में जानकारी दी गई कि मदर डेयरी व सफल की सभी दूकानों पर पर्याप्त मात्रा में प्याज उपलब्ध है व आपूर्ति में कमी नहीं है। प्याज का स्टाक पर्याप्त है। इन दूकानों पर उचित दर पर प्याज बिक्री से इसकी दर में बढोत्तरी की संभावना नहीं है। लेकिन मंत्री ने अधिकारियों से प्याज व्यापारियों से लगातार संपर्क बनाए रखने कहा है।

एकेएफआई के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने एक सितंबर को प्रस्तावित कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) के पदाधिकारियों के चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने इसके साथ ही खेल मंत्रालय व एकेएफआई से इस मसले पर जवाब देने की कहते हुए सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति ने यह निर्देश एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

खेल मंत्रालय व एकेएफआई से इस मसले पर मांगा जवाब

प्राप्त जानकारी के मुताबिक एकेएफआई के अधिकारियों के चयन को तमिलनाडु के पूर्व कबड्डी खिलाड़ी एसी थंगावेल ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि एकेएफआई प्रशासन ने 7, 16 और 17 अगस्त को चुनाव की घोषणा करने संबंधी आदेश पारित किया है। इसको लेकर उसने आपत्ति दर्ज कराई थी। प्रशासन ने बिना कोई कारण बताए हुए उसे निरस्त कर दिया है। यह भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि वह एकेएफआई का एक सदस्य है और उसे यह मुद्दा उठाने का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने कहा कि खेल निकायों को लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि किसी व्यक्ति विशेष या समूह के लिए नहीं है।

उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट की ही दो सदस्यीय पीठ पर चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश में की गई टिप्पणी का जिक्र किया है। पीठ नें कहा था कि संविधान व कबड्डी खिलाड़ियों की उपेक्षा करके एकेएफआई को एक विशेष परिवार के सदस्यों द्वारा तीन दशकों से बिना किसी चुनाव के नियंत्रण में रखा गया था। पीठ ने इसके साथ ही फेडरेशन द्वारा संविधान में किए गए विभिन्न अवैध संशोधनों को भी रद्द कर दिया था।

इंट्रेस्ट, विशेषाधिकारों, और सभी सुविधाओं के साथ, निम्नानुसार परिबद्ध है :

पूर्व की ओर : सर्विस लेन
पश्चिम की ओर : रोड
उत्तर की ओर : रोड
दक्षिण की ओर : प्लॉट नं.बी-124

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट में दिए गए लिंक यानि https://eauction.npasource.com और www.indiabullshomeloans.com. का संदर्भ ले।

दिनांक : 20.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

सीआईएनः L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201301, उ.प्र.
कॉरपोरेट कार्यालयः 5वीं मंजिल, टॉवर डी, लोजिक्स टैक्नो पार्क, सेक्टर–127, नोएडा – 201304, उ.प्र.
फोनः +91-120-4090500, फैक्सः +91-120-4090599
वेबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की **24वीं वार्षिक आम बैठक ("बैठक"), मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे, इन्टरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर, एक्सपो ड्राइव, ए–11, सेक्टर–62, नोएडा–201301, उ.प्र.** में, एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों के लिए आयोजित की जाएगी।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018-19 और बैठक की सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण भेज दिया गया है, जिन सदस्यों का ई–मेल आईडी, कम्पनी/डिपोज़िटरी सहभागियों के पास पंजीकृत है, जब तक किसी सदस्य ने भौतिक प्रति के लिए अनुरोध न किया हो। उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति को स्वीकार्य मोड से भेजा गया है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com पर उपलब्ध है। बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को शुरू और पूरा कर लिया गया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा उसके अधीन लागू नियम के संदर्भ में उसके तहत् बनाये गए नियम और विनियम 44 सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के तहत् कंपनी अपने सदस्यों को बैठक में प्रस्तावित व्यवसायों पर मतदान करने के लिए ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से बैठक की सूचना में दिए गए वर्णित व्यवसाय का लेन–देन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा बैठक के स्थान के अलावा ("रिमोट ई–वोटिंग") केन्द्रीय डिपोज़िटरी सर्विसिस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध की जायेगी। रिमोट ई–वोटिंग पर विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की सूचना देखें जो सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्दों मामले में, सदस्य सहायता अनुभाग के तहत् www.evotingindia.com पर उपलब्ध सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई–वोटिंग मैनुअल या श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते है या टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क करें।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

1) रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 प्रातः 9:00 बजे को शुरू होगी तथा सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 सायं 5:00 बजे को बंद होगी। इसके पश्चात् मतदान करने के लिए रिमोट ई–वोटिंग मोड्यूल सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध नहीं होगी।
2) वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि जो कि मंगलवार, 17 सितम्बर 2019 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोज़िटरी(रों) द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वे रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा अथवा भौतिक मत–पत्र द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होंगे।
3) वह सदस्य जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से नहीं किया हो, भौतिक मत–पत्र द्वारा बैठक में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं;
4) वह सदस्य जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मत प्रयोग कर लिया हो, वे बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा;

कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर का अधिग्रहण करता है और कंपनी की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2019 को अंशधारक होता है, तो वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए बैठक की सूचना में उल्लेख प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। हालांकि, यदि आप ई–वोटिंग हेतु पहले से पंजीकृत हैं तो आप वर्तमान यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तकें, बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 से मंगलवार 24 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिन शामिल), लाभांश वित्तीय वर्ष 2019 के भुगतान के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए बंद रहेंगी।

कृते जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड
हस्ता/–
मोना अग्रवाल
कम्पनी सचिव

दिनांकः 27 अगस्त, 2019
स्थानः नोएडा (उ.प्र.)